

न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का खोखर

बनाम

अप्रार्थी :- श्री जगमाल ,गोपीराम पुत्र किस्तूर राम जाति गुर्जर निवासी धोकलिया
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956
प्रकरण संख्या 5/17

निर्णय दिनांक 30/03/2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खोखर ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2073 में सरहद धोकलिया के खसरा नम्बर 280 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.003 है. भूमि में बाड़ लगा कर रास्ता रोक अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी के परिवार से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा अतः एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मौजा धोकलिया के खसरा नम्बर 280 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.003 है. भूमि पर अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 3 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.003 है. भूमि के 0.10 रुपये लगान का 50 गुणा 05/- अक्षरे पञ्च रुपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।



119
तहसीलदार परबतसर
परबतसर (नागौर)

17/8
पत्रिका 'ग' वच के पृष्ठ सं
पत्र क्रमांक 20 की
मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार